रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237130 CG-DL-E-07072022-237130

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2921] No. 2921] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2022/आषाढ़ 15, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2022/ASHADHA 15, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

(भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2022

का.आ. 3071(अ).—भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण एतदद्वारा यह निर्धारित करता है कि निम्नलिखित सारिणी में विनिर्दिष्ट गैर-कृषीय वस्तुओं का भंडारण रजिस्ट्रीकृत भाण्डागार में किया जाएगा, अर्थात् :-

सारिणी

क्र. सं.	वस्तु का नाम
(1)	(2)
1	एल्यूमीनियम
2	पीतल
3	तांबा
4	सीसा
5	निकल
6	जिंक

4536 GI/2022 (1)

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(ii)]

7	टिन
8	इस्पात
9	लौह अयस्क

2. उक्त सारिणी में विनिर्दिष्ट वस्तुएं गुणात्मक विनिर्देशों या भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप होगी:

परन्तु यदि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानक इन वस्तुओं के लिए विद्यमान नहीं हैं, तो ऐसे मामले में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी निकायों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानक लागृ होंगे।

- 3. जिन वस्तुओं के लिए रासायनिक या प्रयोगशाला विश्लेषण की आवश्यकता है, उनके लिए जांच (टैस्टिंग) हेतु राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अधिसूचित सभी प्रत्यायित प्रयोगशालाएं और भारतीय मानक ब्युरो द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं अधिकृत हैं।
- 4 केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की प्रयोगशालाएं और उनके द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्रयोगशालाएं भी उक्त वस्तुओं का परीक्षण कर सकती हैं।

[फा. सं. 09/2022-एस टी जी-2]

जीतेश शर्मा, निदेशक (प्रशासन एवं वित्त/डब्ल्यूडीआरए)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

(WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2022

S.O. 3071(E).—In exercise of the powers conferred by section 35 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Warehousing Development and Regulatory Authority hereby determines that the non-agricultural commodities specified in the Table below shall be stored in a registered warehouse, namely:-

TABLE

S.No.	Name of the Commodity
(1)	(2)
1	Aluminium
2	Brass
3	Copper
4	Lead
5	Nickel
6	Zinc
7	Tin
8	Steel
9	Iron Ore

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

2. The commodities specified in said table shall comply with the qualitative specifications or standards of the Bureau of Indian Standards:

Provided that in case the standards specified by the Bureau of Indian Standards do not exist for these commodities, the quality standards laid down by the Central Government or the State Government or the Government bodies shall be applicable.

- 3. For the commodities requiring chemical or laboratory analysis, all accredited laboratories notified by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories and laboratories recognised by the Bureau of Indian Standards are authorised for testing.
- 4. The Central Government or the State Government laboratories and other laboratories recognised by them may also conduct testing of the said commodities.

[F. No. 09/2022-Stg-II]

JEETESH SHARMA, Director (Admin & Fin./WDRA)